

पञ्जाबी एवं अंग्रेजी
ऑफिस के हस्ताक्षर


333

226

राजस्थान अध्याय अध्याय प्रदेश अध्याय निकाट
न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, रीवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश
सर्वेक्षण नं० २३४

507
23.8.14

R. मन्मथ
13/12/14
86
13/2/12



R-3089-11/14

R-3089-11/14

1. मु० शकुन्तलादेवी विधवा पत्नी स्व० श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल
2. रामचरित आत्मज श्री रामकुमार शुक्ल दोनों निवासी ग्राम लोहदवार, तहसील हाथपुर कर्चुलिधान जिला रीवा, मध्य प्रदेश
===== आवेदकगण

बनाम

श्रीमं एड० एड
23.8.14 के
श्रीमं एड० एड
23.8.14 के
सर्वेक्षण नं० २३४

1. आनन्दत्त & दोनों के पिता श्री रामकुमार शुक्ल (मृत)

श्रीमणि &

3. भैयालाल & दोनों के पिता स्व० श्री रामरताप शुक्ल

4. नित्यराघव शरण &

5. छेदीलाल तनव श्री प्रभुनाथ प्रसाद ब्रा०

6. रामलाल तनव श्री जगन्नाथ प्रसाद

7. मु० विद्यावती पत्नी राधिका प्रसाद

8. रामेन्द्र प्रसाद तनव श्री जगदीश प्रसाद

9. ब्रज कुमार तनव श्री जगदीश प्रसाद ब्रा०

10. रजनीश कुमार तनव श्री जगदीश प्रसाद ब्रा०

11. तीरथ प्रसाद & तीनों के पिता श्री रामकिशोर ब्रा०

12. श्रेष्ठमणि &

13. शीतल प्रसाद &

14. सत्यनारायण & तीनों के पिता राधिका प्रसाद ब्रा०

15. सत्यभवन &

16. शिवभान &

17. विमलेशचिंताठी तनव महिदन प्रसादचिंताठी

सभी निवासी ग्राम लोहदवार, तहसील हाथपुर कर्चुलिधान

जिला रीवा मध्य

===== आवेदकगण

176
एड० एड०
23.8.14

23.8.2014

my

कारि:शस -

- (अ) प्रमिती शिवरजुका उम 65 वर्ष पत्नी स्व. ज्ञानदत्त शुक्ल
 - (ब) संतोष कुमार शुक्ल उम 55 वर्ष टानय स्व. ज्ञानदत्त शुक्ल
 - (स) केशव शुक्ल उम 45 वर्ष लाल स्व. ज्ञानदत्त शुक्ल
 - (द) दिनाद शुक्ल उम 40 वर्ष लाल स्व. ज्ञानदत्त शुक्ल
- सम. निवा. गाम भदरुका राह. राधु कार्य
जि. का. बी. का. 8059

संज्ञादा
मुलादि
सम
दिनांक 24-5-17
अरव

25.8.10


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0 3089-III / 2014

जिला-रीवा

श्रीमती शकुन्तला देवी शुक्ला / ज्ञानदत्त शुक्ला वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मोरध्वज सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 38/अ-27/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 सू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	